बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या–5/आ02-111/2013– 439 पटना, दिनांक– 6.6.16

श्री रामाधार राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीवान (संप्रति निलंबित) मुख्यालय क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्यालय, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध आय से अधिक अप्रत्यानुपातिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सह पठित धारा 13(1)(e) के तहत आर्थिक अपराध इकाई थाना काण्ड संख्या-22/13 दर्ज किये जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया।

2. तदोपरान्त विभागीय आदेश सं0-5/आ02-111/2013-358, दिनांक-16.07.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत श्री राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. आय के ज्ञात श्रोतो से अधिक अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपो के मद्देनजर यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम 19(2),19(3) एवं 19(6) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा सरकारी सेवक के प्रतिकुल आचरण है। मामले की सरकार द्वारा समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-5/आ02-111/2013-557 दिनांक-06.12.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

4. संस्थित विभागीय कार्यवाही में विभागीय कार्यवाही के जांच संचालन पदाधिकारी, अपर विभागीय जांच आयुक्त डॉ0 सुभाष शर्मा, भा0प्र0से0 के पत्रांक-123/एम0सी0 दिनांक-01.06.2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है तथा निष्कर्ष के रूप में कहा गया है कि ''आरोपी श्री रामाधार राम के विरूद्ध लगाये गये तीनों आरोप भ्रष्टाचार एवं कदाचार से संबंधित है एवं ये तीनों आरोप संदेह से परे प्रमाणित पाये जाते है।''

5. प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-404 दिनांक-06.07.2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आरोपी पदाधिकारी से 15 दिनों के भीतर लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) समर्पित करने का अनुरोध किया गया, निर्धारित अवधि के भीतर श्री राम द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का जबाव समर्पित नही किया गया।

6. वर्णित परिपेक्ष्य में पूरे मामले के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोप के आलोक में श्री राम के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित प्रावधानों के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव गठित किया गया:-

1. सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशन एवं उपादान आदि देय नहीं होगा।

निलंबन अवधि में श्री राम को भुगतान किये गये जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नही होगा।

7. उपरोक्त विभागीय प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया।

Ramadhar ram

8. तदोपरान्त विभागीय पत्रांक-5/आ02-111/2013-19 दिनांक-05.01.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना से श्री राम के विरूद्ध प्रस्तावित वृहत शास्ति पर परामर्श की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक-5/प्रो0-3-03/2016-369 लो0से0आ0 दिनांक-06.05.2016 द्वारा आयोग ने आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की।

9. अतः प्रमाणित आरोप के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप जांच पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श की समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) यथासंशोधित नियम 14 (xi) (अधिसूचना संख्या-3/एम0-166/2006 का0-2797 दिनांक-20.08.2007) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशन एवं उपादान आदि देय नहीं होगा शास्ति अधिरोपित करने एवं निलंबन अवधि में श्री राम को भुगतान किये गये जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नही होने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

10. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री रामाधार राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीवान (संप्रति निलंबित) मुख्यालय क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्यालय, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) यथासंशोधित नियम 14 (xi) (अधिसूचना संख्या-3/एम0-166/2006 का0-2797 दिनांक-20.08.2007) के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित कर संसूचित की जाती है:-

(i) **सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।**

जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशन एवं उपादान आदि देय नहीं होगा।

श्री राम को भुगतान किये गये जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नही होगा।

11. उपरोक्त कंडिका 10 में निहित शास्ति पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6/6/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-111/2013- 439 पटना, दिनांक- 6.6.16

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग (वै.दा.नि.को.), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीवान/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

Ramadhar ram

ज्ञापांक-5/आ02-111/2013- 439 पटना, दिनांक- 6.6.16

प्रतिलिपि:- श्री रामाधार राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीवान (संप्रति निलंबित) मुख्यालय क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-111/2013- 439 पटना, दिनांक- 6.6.16

प्रतिलिपि:- बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-5/प्रो0-3-03/2016-369 लो0से0आ0 दिनांक-06.05.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-111/2013- 439 पटना, दिनांक- 6.6.16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 2 एवं 5/आई0टी0 मैनेजर (विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-111/2013- 439 पटना, दिनांक- 6.6.16

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-111/2013- 439 पटना, दिनांक- 6.6.16

प्रतिलिपि:- प्रभारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

Ramadhar ram